न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 303/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/492

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
काछम खां पुत्र महेन्द्र खां जाति मुसलमान निवासी रेवाड़ा मैया तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.अणदाराम पुत्र सोमाराम जाति कलबी निवासी रेवाड़ा जेतमाल 2.अमराराम पुत्र शेराराम जाति कलबी निवासी थोब 3.कमुखां पुत्र मोड़े खां जाति मुसलमान 4.जमालखां पुत्र मोड़े खां जाति मुसलमान निवासी कोडूका 5.गन्नीखां पुत्र भाईखां जाति मुसलमान निवासी बड़नावा जागीर 6.चांनणखां पुत्र भाईखां जाति मुसलमान निवासी बड़नावा जागीर 7.रामजीराम पुत्र किसनाराम जाति कलबी निवासी रेवाड़ा जेतामाल 8.सुभानखां मोड़े खां जाति मुसलमान निवासी कोडूका 9.साउखां मोड़े खां जाति मुसलमान निवासी कोडूका 10.सुबटी पत्नी भाईखां जाति मुसलमान निवासी बड़नावा जागीर 11.हनीफखां पुत्र भाईखां जाति मुसलमान निवासी बड़नावा जागीर 12.जोसबखां पुत्र इबरेखां 13.नसीरखां पुत्र इबरेखां

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

14.मोजीखां पुत्र इबरेखां

15.रसूलखां पुत्र इबरेखां

16.हाजीखां पुत्र इबरेखां

17.सरीफो पत्नी इबरेखां

जाति मुसलमान निवासी रेवाड़ा मैया

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

18.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता प्रार्थी

2.विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 07.03.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 189/73 रकबा 2.1610 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 189/73 रकबा 2.1610 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 5,7 से 9 एवं 11 की ओर से जरिए अधिवक्ता श्री करणसिंह सोलंकी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा विप्रार्थी संख्या 2 व 6 की तरफ से आईन्दा वकालतनामा पेश किए जाने की अडरटेकिंग ली गई। विप्रार्थी संख्या 20 से 22 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 10 व 13 से 17 के नोटिस सम्यक तामीली के उपरांत भी उपस्थित नहीं हुए। विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 5,7 से 9 एवं 11 अधिवक्ता द्वारा तीन माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया गया एवं न ही विप्रार्थी संख्या 2 व 6 की तरफ से वकालतनामा पेश किया गया तथा न ही वक्त सुनवाई उपस्थित नहीं होने के कारण विप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

3.हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 189/73 रकबा 2.1610 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 189/73 रकबा 2.1610 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 189/73 रकबा 2.1610 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 10.7.2024 की छायाप्रति अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिंक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन—पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम रेवाड़ा बारठान पटवार हल्का रेवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 189/73 रकबा 2.1610 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राज़स्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 07.03.2025 लिखा जाकर सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा